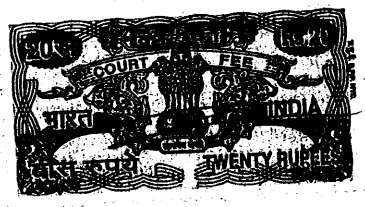

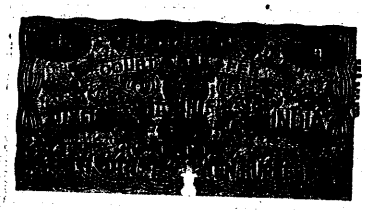

समक्ष मान्नीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्र. ..../.............../............................

विषय :- आदिम जनजाति सदस्य को भूमि विक्रय करने की अनुमति प्रदान करने बावत्।

पक्षकार - श्री कमल सिंह मरकाम पिता श्री गोरेलाल मरकाम जाति गौड (आदिवासी) निवासी-ग्राम दुर्गा नगर, डुंगरिया तह. व जिला जबलपुर

विरूद्ध -

अनावेदक - 1. श्री मेसर्स V.K.सिक्योरिटी प्रायवेट लिमिटेड पता-जी-21, जयंती कॉम्पलेक्स, मढाताल, जबलपुर द्वारा डायरेक्टर पुरूषोत्तम दास गुप्ता, पिता श्री कैलाश चंद्र गुप्ता (गैर आदिवासी) निवासी-बी-3, अटारिया हॉउस विग बाजार के पास, मॉ नर्मदा रोड, जबलपुर

2. म.प्र.शासन द्वारा कलेक्टर जबलपुर

पुर्ननिरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत्

1. मान्नीय न्यायालय कलेक्टर जबलपुर के प्रकरण क्र. 45/अ-21/2016-17 में पारित **आदेश** दि. 23/01/2017 (Annexure-1) से व्यथित होकर म.प्र. **भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के तहत्** यह पुर्ननिरीक्षण याचिका प्रस्तुत की जा रही है।

2. यह कि आवेदक अपीलकर्ता श्री कमल सिंह मरकाम पिता श्री गोरेलाल मरकाम जाति गौड (आदिवासी) निवासी-ग्राम दुर्गा नगर, डुंगरिया तह. व जिला जबलपुर द्वारा ग्राम **बरबटी** प.ह.नं. 63 रा.नि.मं. बरगी तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. क्रमशः 392/1, 392/2, 392/3, 392/4, 392/5, 391, 401, 341/4 रकवा क्रमशः 0.42, 0.210, 0.210, 0. 210, 0.210, 0.400, 1.35, 0.300 हेक्टे. भूमि का कुल रकवा 3.310 है. अनावेदक गैर आदिवासी श्री मेसर्स V.K.सिक्योरिटी प्रायवेट लिमिटेड पता-जी-21, जयंती कॉम्पलेक्स, मढाताल, जबलपुर द्वारा डायरेक्टर पुरूषोत्तम दास गुप्ता, पिता श्री कैलाश चंद्र गुप्ता (गैर आदिवासी) निवासी-बी-3, अटारिया हॉउस विग बाजार के पास, मॉ नर्मदा रोड, जबलपुर को विक्रय करने की अनुमति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 21/11/2016 (Annexure-2) म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 165(6) के तहत् कलेक्टर जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

3. प्रकरण में प्रश्नाधीन भूमि विक्रय अनुमति उपरांत आवेदक के पास ग्राम सोहड प.ह.नं. 64, रा. नि.मं. बरगी तह. व जिला जबलपुर में स्थित भूमि खसरा नं. 387, 405 रकवा क्रमशः 0.670, 3.380 हे. भूमि शेष बचेगी। जो कि मेरे एवं मेरे परिवार के जीवन यापन के लिए पर्याप्त है। आवेदित भूमि पट्टे की नहीं है। आवेदित भूमि विक्रय के पश्चात् आवेदक को उचित प्रतिफल

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - निग0 483-एक/17 जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9-2-17	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 45/अ-21/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 23-1-17 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2- आवेदक एवं अनावेदक क्रं. 2 शासन के विद्वान अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया । यह प्रकरण आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भूमि विक्रय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है । जिसमें आवेदक द्वारा अपने स्वामित्व एवं मालिकाना हक्क की ग्राम बरबटी प. ह.नं. 63 रा.नि.मं. बरगी तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमियां खसरा नं. 392/1, 392/2, 392/3, 392/4, 392/5, 391, 401 एवं 341/4 रकबा क्रमशः 0.42, 0.210, 0.210, 0.210, 0.210, 0.400, 1.35 एवं 0.300 कुल रकबा 3.310 हैक्टर को विक्रय करने की अनुमति संहिता की धारा 165(6) के तहत दिए जाने का अनुरोध किया गया है । उक्त आवेदन पर से कलेक्टर द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर दिनांक 2-1-17 को दिनांक 3-4-17 के लिए ग्राह्यता पर तर्क हेतु नियत किया गया । इसके उपरांत आवेदक द्वारा कलेक्टर के समक्ष दिनांक 23-1-17 को शीघ्र सुनवाई का आवेदन प्रस्तुत किया गया जो कलेक्टर ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त किया जाकर प्रकरण पूर्ववत दिनांक 3-4-17 के लिए नियत किया गया है । कलेक्टर के इस आदेश से व्यथित होकर यह निगरानी पेश की गई है । कलेक्टर के आदेश के संबंध में आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह कहा गया अधीनस्थ न्यायालय	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	द्वारा आवेदक के आवेदन पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है और लंबी पेशी नियत कर दी गई है । आवेदित भूमि शासकीय पट्टे की भूमि नहीं है बल्कि आवेदक की स्वअर्जित भूमि है । आवेदक की समाज के व्यक्ति भूमि को क्रय करने को तैयार नहीं है । प्रस्तुत दस्तावेजों से यह भी स्पष्ट है कि अपीलार्थी के पास विक्रय हेतु आवेदित प्रश्नाधीन भूमियों के अतिरिक्त ग्राम सोहड प.ह.नं. 64 रा.नि.मं. बरगी तहसील व जिला जबलपुर में 4.050 हैक्टर भूमि शेष बच रही है जो उसके जीवन के लिए पर्याप्त है । अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा तर्को में यह कहा गया है कि गैर आदिम जनजाति के सदस्य/क्रेता द्वारा उसे वर्तमान वर्ष की गाइड लाइन से अधिक मूल्य दिया जा रहा है और अंतरण में कोई छल कपट नहीं हो रहा है । चूंकि अपीलार्थी आदिम जनजाति का सदस्य है, इस कारण उसके द्वारा भूमि विक्रय की अनुमति मांगी गई है । प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात यह पाया जाता है कि अपीलार्थी को उसके भूमिस्वामी स्वत्व की प्रश्नाधीन भूमियों को विक्रय करने की अनुमति दिए जाने में किसी प्रकार की वैधानिक अड़चन प्रतीत नहीं होती है । दर्शित परिस्थिति में कलेक्टर के समक्ष आलोच्य प्रकरण में प्रचलित कार्यवाही समाप्त करते हुए आवेदक को उसके भूमिस्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम बरबटी प.ह. नं. 63 रा.नि.मं. बरगी तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमियां खसरा नं. 392/1, 392/2, 392/3, 392/4, 392/5, 391, 401 एवं 341/4 रकबा क्रमशः 0.42, 0.210, 0.210, 0.210, 0.210, 0.400, 1.35 एवं 0.300 कुल रकबा 3.310 हैक्टर को अनावेदक क्रमांक-1/गैर आदिम जनजाति सदस्य को निम्न शर्तो के साथ विक्रय करने की	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - निग0 483-एक/17

जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	अनुमति प्रदान की जाती है :- 1- प्रस्तावित क्रेता वर्तमान वर्ष की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो । 2- क्रेता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी । 3- उप पंजीयक द्वारा विक्रयपत्र का पंजीयन, पंजीयन दिनांक को प्रचलित गाइड लाईन की मान से किया जायेगा निगरानी तद्नुसार निराकृत की जाती है । पक्षकार सूचित हों । (एम0के0 सिंह) सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर	